

अध्याय-II

मूल्यवर्द्धित कर/बिक्री,
व्यापार आदि पर कर

कार्यकारी सारांश

<p>इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया है</p>	<p>इस अध्याय में वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त के कार्यालय में मू.व.क./बिक्री कर से संबंधित कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में पाये गये अवलोकनों से चयनित वित्तीय निहित ₹ 224.20 करोड़ के वसूलनीय दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले हम प्रस्तुत करते हैं जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया गया था।</p> <p>यह चिन्ता का विषय है कि इस तरह की चूके पिछले कई वर्षों से लगातार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया है लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किया है।</p>
<p>कर संग्रहण में सीमांत बढ़ोतरी</p>	<p>पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में मूल्य वद्धित कर (मू.व.क.)/केन्द्रीय बिक्री कर से कर संग्रहण में 23.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसका श्रेय विभाग ने कुशल एवं प्रभावकारी कर-प्रशासन को दिया था।</p>
<p>आंतरिक अंकेक्षण संकाय ने कार्य करना शुरू किया</p>	<p>झारखण्ड मू.व.क. अधिनियम में मू.व.क. अंकेक्षण की प्रणाली को बताया गया है। अंकेक्षण कर निर्धारण एवं उसके अंकेक्षण के उद्देश्य से व्यवसायियों के चयन का मानदंड एवं मार्ग दर्शिका अधिसूचित की गई है (जुलाई 2011)। संभाग मुख्यालय स्तर पर एवं प्रमंडल स्तर पर राँची, जमशेदपुर और धनबाद में कार्य शुरू कर दिया है। विभाग ने प्रतिवेदित किया कि मार्च 2012 में मू.व.क. अंकेक्षण के लिए 812 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का चयन किया गया था।</p>
<p>पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा बताये गये अवलोकनों के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई वसूली</p>	<p>2006-07 से 2010-11 के दौरान हमने, कर का नहीं/कम लगाया जाना, नहीं/कम उद्ग्रहण, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, आवर्त का छिपाया जाना/प्रकट नहीं करना, कर के गलत दर का अनुप्रयोग और कर की संगणना में त्रुटि आदि के ₹ 2,501.25 करोड़ के 1,861 मामलों का पता लगाया। जिसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 637.11 करोड़ के 266 मामले में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया लेकिन मात्र ₹ 77.13 करोड़ की वसूली की।</p>
<p>2011-12 में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम</p>	<p>वर्ष 2011-12 में हमने 21 इकाईयों के मू.व.क./बिक्री व्यापार आदि पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की और 629 मामलों में ₹ 794.65 करोड़ के कर के कम/नहीं वसूली/आरोपण, अर्थदण्ड आदि पाया।</p> <p>वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने हमारे बताये जाने पर कर के कम/नहीं आरोपण/वसूली एवं अन्य त्रुटियों के 28 मामलों में ₹ 68.06 करोड़ को स्वीकार किया। वर्ष 2011-12 के दौरान चार मामलों में ₹ 47.81 लाख की वसूली की गई थी।</p>
<p>हमारा निष्कर्ष</p>	<p>वाणिज्यकर विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि तंत्र की कमजोरियाँ दूर हो तथा हमारे द्वारा पता लगाये गये त्रुटियों की प्रकृति से भविष्य में बचा जाय।</p>

अध्याय – II : मूल्य वर्द्धित कर/बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यकर जिसमें बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर आदि शामिल है, का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड वित्त (झा.वि.) अधिनियम, 2001 (1 अप्रैल 2006 से निरस्त), झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005 एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 द्वारा शासित है। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों/नियमों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। उन्हें वाणिज्यकर अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) के संयुक्त आयुक्त, निगरानी एवं अनुश्रवण के साथ अन्य वाणिज्यकर उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों¹ में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं एवं 28 अंचलों² में विभाजित है, जिसके प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ. जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर के आरोपण एवं संग्रहण के अलावे बाजार सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को सहयोग करने के लिये प्रत्येक प्रमण्डल में एक उपायुक्त (अ.ब्यू.) तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमण्डल में एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मू.व.क. से वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि में कर की कुल प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका एवं चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:


(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+)/ ह्रास (-)	विचरण की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में बिक्री कर/मू.व.क. की वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	2,789.83	2,845.88	(+) 56.05	(+) 2.00	3,473.55	82
2008-09	3,715.00	2,996.20	(-) 718.80	(-) 19.35	3,753.21	80
2009-10	4,200.00	3,597.20	(-) 602.80	(-) 14.35	4,500.12	80
2010-11	4,503.00	4,473.43	(-) 29.57	(-) 0.66	5,716.63	78
2011-12	5,633.25	5,522.02	(-) 111.23	(-) 1.97	6,953.89	79

स्रोत: वित्त लेखे और वर्ष 2012-13 के झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुण्डा, देवघर, धनबाद, धनबाद नगरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहेबगंज, सिंहभूम एवं तेनुघाट।



2.3 संग्रहण की लागत

बिक्री कर/मू.व.क. प्राप्तिओं के सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किए गए व्यय एवं वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता को संगत पूर्ववर्ती वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के साथ नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	पूर्ववर्ती वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	2,845.88	16.66	0.59	0.82
2008-09	2,996.20	24.88	0.83	0.83
2009-10	3,597.20	31.17	0.87	0.88
2010-11	4,473.43	37.48	0.84	0.96
2011-12	5,522.02	50.20	0.91	0.75

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

2.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का कार्यकलाप

झा.मू.व.क. अधिनियम में मू.व.क. लेखापरीक्षा की व्यवस्था की गई है। लेखापरीक्षा कर निर्धारण एवं लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए व्यवसायियों के चयन का मानदण्ड और मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है (जुलाई 2011)। संभाग, मुख्यालय स्तर पर एवं प्रमण्डल स्तर पर राँची, जमशेदपुर और धनबाद में कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मार्च 2012 में मू.व.क. लेखापरीक्षा के लिए 812 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का चयन किया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा के प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान हमने 1,861 मामलों में ₹ 2,501.25 करोड़ राजस्व प्रभाव से संबंधित कर का नहीं/कम लगाया जाना, कम/नहीं उद्ग्रहण, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, आर्वत का छिपाना/प्रकट नहीं करना, कर के गलत दर का अनुप्रयोग और कर की संगणना में त्रुटि आदि को बताया। जिसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 637.11 करोड़ अन्तर्गत 266 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ₹ 77.13 करोड़ की वसूली की। कितने मामलों में वसूली की गई इसकी सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दर्शाये गये है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाई की संख्या	आपत्ति राशि		स्वीकृत राशि		2011-12 के दौरान वसूली गयी राशि
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
2006-07	20	262	428.80	36	36.66	0.03
2007-08	19	446	663.08	84	138.42	12.74
2008-09	17	228	298.33	53	131.51	24.69
2009-10	22	525	640.42	31	6.49	17.39 ³
2010-11	24	400	470.62	62	324.03	22.28
कुल	102	1,861	2,501.25	266	637.11	77.13

2.6 बकाये राजस्व का विश्लेषण

जैसा कि विभाग ने प्रतिवेदित किया, 31 मार्च 2012 को बकाया राजस्व ₹ 1,860.83 करोड़ था, जिसमें ₹ 371.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व के बकाया की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2007-08	1,256.80	1,261.41
2008-09	1,261.41	1,737.21
2009-10	1,737.21	1,856.26
2010-11	1,856.26	1,737.74
2011-12	1,737.74	1,860.83

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

विभाग ने इन वर्षों के दौरान बकाया में योग एवं समाशोधन के संबंध में सूचना नहीं दी। तथापि विभाग ने बकाया की स्थिति ₹ 1,917.81⁴ करोड़ प्रस्तुत किया जिस पर कार्रवाई लंबित था। ₹ 1,917.81 करोड़ में से ₹ 154.45 करोड़ की माँग की वसूली के

³ 2009-10 के दौरान ₹ 6.49 करोड़ के स्वीकृत लेखापरीक्षा अवलोकनों के विरुद्ध विभाग ने ₹ 17.39 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

⁴ 31 मार्च 2012 तक के ₹ 1,860.83 करोड़ के प्रतिवेदित बकाया राजस्व के विरुद्ध विभाग ने ₹ 1,917.81 करोड़ के बकाया की स्थिति को प्रस्तुत किया। इस विसंगति का विभाग द्वारा मिलान की आवश्यकता है।

लिए भू-राजस्व की बकाया की तरह नीलामवाद दायर किए गये थे। ₹ 1,304.85 करोड़ और ₹ 2.58 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गयी थी। ₹ 1.73 करोड़ की वसूली भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी थी। शेष 454.20 करोड़ के बकाया के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2013)।

अतएव, उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि कुल बकाया राशि का 68.17 प्रतिशत न्यायालयों में अथवा सरकार के स्तर पर निपटान हेतु लंबित था। बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूलनीय राशि, कुल निपटान हेतु लंबित बकाया राशि का 8.05 प्रतिशत था।

बकाया के मामलों का त्वरित निपटान हेतु सतत अनुश्रवण और बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर भू-राजस्व के बकाया की तरह बकाया की वसूली हेतु विभाग को निर्देश जारी करने हेतु सरकार विचार कर सकती है।

2.7 कर निर्धारण में बकाये

वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए मामले एवं वर्ष के अन्त में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	आरम्भिक शेष	कर निर्धारण योग्य नये मामले	कर निर्धारण योग्य कुल मामले	निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कॉलम 4 से 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008-09	15,009	36,770	51,779	38,544	13,235	25.56
2009-10	13,235	56,106	69,341	49,422	19,919	28.73
2010-11 ⁵	19,919	64,145	84,064	66,874	17,190	20.45
2011-12	17,190	63,515	80,705	50,473	30,232	37.46

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 20 से 37 प्रतिशत तक कर निर्धारण अभिलेख निष्पादन हेतु लंबित थे। इसके फलस्वरूप राजस्व उद्ग्रहण में विलंब/राजस्व की हानि होगी, क्योंकि मामले काल बाधित हो रहे थे।

विभाग, लंबित कर निर्धारण को समयबद्ध तरीके से निष्पादन हेतु एक कार्य योजना विकसित करने पर विचार कर सकती है।

2.8 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 की अवधि में मु.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर, कर निर्धारण के पूर्व चरण पर तथा नियमित कर निर्धारण के पश्चात्, कर के कुल संग्रहण तथा विगत तीन

⁵ विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई आँकड़ों से भिन्न है।

वर्षों के संगत आँकड़ों का विघटन जैसा कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, नीचे की तालिका में उल्लेखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारण के पूर्व चरण पर संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के पश्चात संग्रहित राशि	बिलम्ब से कर भुगतान के लिए अर्थदण्ड	कर वापसी राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण (2+3-5)	वित्त लेखे के अनुसार निवल संग्रहण	कॉलम 7 से 2 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	2,797.40	54.07	0.56	0.47	2,851.00	2,996.20	93.36
2009-10	3,319.44	84.74	0.82	0.06	3,404.12	3,597.20	92.27
2010-11	4,446.53	98.59	2.53	0.07	4,545.05	4,473.43	99.40
2011-12 ⁶	5,557.94	77.30	2.00	4.25	5,630.99	5,522.02	100.65

2.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान हमने 21 इकाइयों में मू.व.क./बिक्री व्यापार आदि पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की और 629 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 794.65 करोड़ कम/नहीं वसूली/करारोपण, अर्थदण्ड इत्यादि को पाया, जो निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	कर का नहीं/कम लगाया जाना	278	325.55
2	कर के छूट की अनियमित स्वीकृति	114	75.31
3	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	74	66.48
4	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	67	58.08
5	आवृत के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	31	212.88
6	कर के रियायती दर की अनियमित स्वीकृति	9	1.57
7	कर के अधिक संग्रहण हेतु अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना/कर की संगणना में गलती	12	16.91
8	अन्य मामले	44	37.87
कुल		629	794.65

वर्ष के दौरान विभाग ने 2011-12 में हमारे द्वारा बताये गये 28 मामलों में ₹ 68.06 करोड़ के अवनियमित एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया और चार मामलों में ₹ 47.81 लाख की वसूली की गयी।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों इस अध्याय में हम प्रस्तुत करते हैं जिसमें वसूलनीय ₹ 224.20 करोड़ अंतर्ग्रस्त है। जिसमें से विभाग/सरकार ने 27 मामलों में ₹ 68.02 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और तीन मामलों में ₹ 44.19 लाख की वसूली की, जिसकी विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

⁶ वर्ष 2011-12 के आँकड़े (कॉलम 2 से कॉलम 6) में मू.व.क., विलासिता कर एवं प्रवेश कर के अन्तर्गत संग्रहित राशि सम्मिलित है।

2.10 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

मूल्यवर्द्धित कर (मू.व.क.) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत जारी किये गये अधिसूचनाओं के अनुपालन नहीं किए जाने के कई मामले, क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाया जाना, व्यवसायियों का निबंधन नहीं होना, कर निर्धारण में आवर्त का छूट जाना, कर/अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का गलत सामंजन, कर के गलत दर का अनुप्रयोग इत्यादि प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित है। ये मामले दृष्टांतस्वरूप हैं तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। कर निर्धारण प्राधिकारियों की इस तरह की चूकें प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा ध्यान में लाए जाते हैं परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बरकरार रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संचालन होने तक ये अनभिज्ञात रह जाती है। सरकार द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण को सुदृढ़ करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

2.11 आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ

आवर्त से अभिप्राय है किसी दिये गये अवधि में प्राप्त या प्राप्य विक्रय मूल्य एवं संदत या संदेय क्रय मूल्य का योग। उचित कर निर्धारण एवं देय कर के आरोपण के लिए आवर्त का सही निर्धारण आवश्यक है। कर की देयता के निर्धारण के उद्देश्य से किसी व्यवसायी के सकल आवर्त की गणना की जाती है परन्तु वास्तविक करारोपण के उद्देश्य से कर देय आवर्त के परिकलन के लिए कुछ निश्चित कटौतियाँ अनुमान्य है।

हमने देखा कि नि.प्रा. ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही प्रकार से व्यवसायी का कर देय आवर्त का निर्धारण नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 72.83 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण हुआ जैसा कि कंडिका 2.11.1 से 2.11.2 में उल्लिखित है।

2.11.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम के साथ पठित के.वि.क. अधिनियम के अन्तर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुनी राशि के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

2.11.1.1 हमने 11 वाणिज्यकर अंचलों⁷ के कर निर्धारण अभिलेखों में देखा (जुलाई 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य) कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान 20 व्यवसायियों ने ₹ 913.96 करोड़ के क्रय/विक्रय की अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी। उनके द्वारा दाखिल विवरणियों के आधार पर फरवरी 2009 एवं

जनवरी 2012 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था। यद्यपि, अभिलेखों⁸ के साथ उपलब्ध विवरणियों की हमारी जाँच/संविक्षा से पता चला कि वास्तव में व्यवसायियों ने ₹ 1,097.69 करोड़ के वस्तुओं का क्रय/विक्रय किया था। तदन्तर, हमने देखा कि नि.प्रा. ने संबंधित व्यवसायियों द्वारा दाखिल अभिलेखों में उपलब्ध आवश्यक सूचनाओं के साथ विवरणियों की तिर्यक जाँच नहीं की। इस प्रकार व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 183.73 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त को छिपाया। छिपाया गया आवर्त कोयला, लौह, इंगॉट ऑटो पार्ट्स, पकाये गये भोजन, भारत में निर्मित विदेशी शराब (आइ.एम.एफ.एल), इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, सोना एवं चांदी, कम्प्यूटर एवं उसके पूर्ण इत्यादि के क्रय/विक्रय से संबंधित था। इसके फलस्वरूप ₹ 44.24 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 66.36 करोड़ कर का कम/नहीं आरोपण हुआ। चार वाणिज्यकर अंचलों में पाँच व्यवसायियों से सम्बन्धित विशिष्ट मामलों की हम नीचे तालिका में उल्लेख करते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायी का टिन	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकनों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (प्रतिशत)	मू.व.क.का कम आरोपण अर्थदण्ड
1	राँची दक्षिणी 20420100082	2007-08 एवं 2008-09 अक्टूबर 2009 एवं फरवरी 2010	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान ₹ 45.63 करोड़ के अन्य व्यय का विनिर्माण/व्यापार खाता में लेखापित नहीं किये जाने के फलस्वरूप विक्रय आवर्त छिपाया गया।	45.63 35	15.97 31.94

⁷ धनबाद, धनबाद नगरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, झरिया, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, राँची दक्षिणी, सिंहभूम एवं तेनुघाट।

⁸ घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षित वार्षिक लेखा, विनिर्माण एवं व्यापार लेखे।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायी का टिन	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकनों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (प्रतिशत)	मू.व.क.का कम आरोपण अर्थदण्ड
2	तेनुघाट 20122200394	2007-08 मार्च 2010	स्रोत पर कर की कटौती (₹ 49.73 लाख) के प्रमाण पत्र के आधार पर ₹ 24.87 करोड़ वास्तविक विक्रय की गणना की गई जबकि व्यवसायी ने अपने व्यापार खाता एवं आवधिक विवरणी में विक्रय आवर्त ₹ 12.20 करोड़ दर्शाया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ था।	12.67 12.5	1.58 3.16
3	धनबाद 20051700252	2007-08 मार्च 2010	प्रपत्र जे वेट 409 में अंकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक विक्रय ₹ 49.50 करोड़ (घरेलू बिक्री ₹ 30.82 करोड़ + निर्यात बिक्री ₹ 18.67 करोड़) था, तथापि व्यवसायी ने अपने वार्षिक विवरणी एवं व्यापार खाता में ₹ 12.55 करोड़ की बिक्री दर्शाया था। (सकल बिक्री ₹ 12.97 करोड़ से घटाव कर संग्रहण ₹ 0.42 करोड़), जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ।	36.95 4	1.48 2.96
4	सिंहभूम 20661100020	2007-08 मार्च 2010	प्रपत्र सी, प्रपत्र एफ, परिवहन अनुज्ञापत्र 504 बी, वेट अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं संपत्ति मूल्य सूची के अनुसार वास्तविक विक्रय ₹ 688.26 करोड़ था जबकि व्यवसायी ने अपने आवधिक विवरणी एवं व्यापार खाता द्वारा विक्रय आवर्त ₹ 648.72 करोड़ दर्शाया था, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ था।	39.54 4 एवं 1	1.06 2.12
5	राँची दक्षिणी 20020101563	2007-08 मार्च 2010	व्यवसायी ने व्यापार लेखे में क्रय ₹ 34.90 करोड़ दर्शाया था एवं नि.प्रा. द्वारा सकल बिक्रय आवर्त ₹ 72.59 करोड़ निर्धारित किया गया, जिस पर कर आरोपित हुआ। जबकि हमने देखा कि प्रपत्र 204 में वार्षिक विवरणी के अनुसार वास्तविक क्रय ₹ 49.54 करोड़ था।	14.64 4	0.58 1.16

हमारे द्वारा जुलाई 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य मामला बताए जाने के बाद तीन मामलों में तीन वाणिज्यकर अंचलों⁹ में नि.प्रा. ने (फरवरी और सितम्बर 2012 के मध्य) ₹ 3.29 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। राँची दक्षिणी अंचल के नि.प्रा. ने उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 के मामले में कहा (जनवरी 2012) कि व्यापार खाते में वस्तु की उत्पादन लागत ₹ 45.43 करोड़ तथा विक्रय के लिए अंन्तिम उत्पादन मूल्य ₹ 91.42 करोड़ दर्शाया गया था जिस पर वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कर निर्धारण सम्पन्न हुआ था। उत्तर प्रासंगिक नहीं था जैसा कि नि.प्रा. द्वारा ₹ 45.99 करोड़ के अंतर को बताया गया वह दोनों वर्षों के सकल लाभ से संबंधित था। तथापि व्यापार खाते में ₹ 45.63 करोड़ के अन्य/विनिर्माण व्यय नहीं शामिल किये जाने के मुद्दे पर नि.प्रा. ने जवाब नहीं दिया।

⁹ जमशेदपुर नगरीय, राँची पश्चिमी एवं सिंहभूम।

अन्य सभी मामलों में संबंधित नि.प्रा. ने जुलाई 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य कहा कि मामले की समीक्षा/जाँच की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

राँची पूर्वी वाणिज्य कर अंचल के एक मामले में सरकार ने कहा (सितम्बर 2012) कि खरीद के आँकड़े जेवैट 409 में सही रूप में उल्लेखित नहीं थे। उत्तर उपयुक्त नहीं था, क्योंकि एल.पी.जी. एवं पैकिंग सामग्री के क्रय को व्यापार लेखे में लेखापित नहीं किया गया, फलस्वरूप क्रय आवर्त का छिपाव हुआ एवं कर का अल्पारोपण हुआ। अन्य सभी मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

2.11.1.2 हमने झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गाँ.ग्रा.वि.यो.) के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न एजेंन्सियों को किये गए भुगतान से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रहण (सितम्बर 2011) किया और राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों के साथ उसकी तिर्यक जाँच (सितम्बर 2011) की। हमने देखा कि एक कार्य संवेदक ने रा.गाँ.ग्रा.वि.यो. के तहत 2008-09 के दौरान झा.रा.वि.बो. से आपूर्ति एवं निर्माण के लिए ₹ 66.19 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था। यद्यपि, कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी संवीक्षा (सितम्बर 2011) से यह उद्घटित हुआ कि उपरोक्त अवधि में संवेदक ने विक्रय आवर्त मात्र ₹ 55.46 करोड़ ही दर्शाया, जिस पर कर निर्धारण जनवरी 2011 में सम्पन्न किया गया था। इस प्रकार ₹ 10.73 करोड़ के विक्रय आवर्त को छिपाया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 85.81 लाख अर्थदण्ड सहित ₹ 1.29 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले को हमारे द्वारा बताए जाने (सितम्बर 2011) के बाद, नि.प्रा. राँची दक्षिणी अंचल ने कहा (जनवरी 2012) कि प्राप्त की गई रकम दो वित्तीय वर्ष के प्राप्ति का योग है जो प्रेक्षण के अन्तर्गत है। उत्तर संगत नहीं है क्योंकि विशिष्ट वित्तीय वर्ष में प्राप्त रकम के आधार पर ही कर का निर्धारण एवं कर की गणना करना अपेक्षित है। इस मामले में वित्तीय वर्ष 2008-09 की प्राप्तियों को ही ₹ 1.29 करोड़ के अवनिर्धारण की गणना हेतु लेखापरीक्षा में लिया गया है। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

2.11.1.3 हमने, राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचल में देखा (सितम्बर 2011) कि एल्यूमिना विनिर्माता एवं विक्रेता व्यवसायी ने मार्च 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारित, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान लोहरदगा के स्वयं नियंत्रणाधीन खदान से बॉक्साइट का राज्यान्तर्गत भंडार अन्तरण प्राप्ति का कोई लेखांकन नहीं किया। यद्यपि, हमारे द्वारा द.पू. रेलवे, लोहरदगा एवं वाणिज्यकर अंचल, लोहरदगा से संग्रहित सूचना (मई 2010) से यह उद्घटित हुआ कि वाणिज्यकर अंचल लोहरदगा में पृथक निबंधित वही व्यवसायी 2006-07 से 2007-08 के दौरान वाणिज्यकर अंचल राँची दक्षिणी में निबंधित अपने एल्यूमिना विनिर्माण इकाई को ₹ 41.60 करोड़ मूल्य के बॉक्साइट का राज्यान्तर्गत भंडार अन्तरण दर्शाया था। इसके फलस्वरूप ₹ 41.60 करोड़ के भंडार अन्तरण प्राप्ति आवर्त को छिपाया गया और परिणामी ₹ 3.33 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 4.99 करोड़¹⁰ के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ।

¹⁰ ₹ 41,59,82,364.73 पर चार प्रतिशत की दर से कर	₹ 1,66,39,294.59
अर्थदण्ड = 2 x ₹ 1,66,39,294.59	₹ 3,32,78,589.18
कुल कर + अर्थदण्ड	₹ 4,99,17,883.77

मामलें को हमारे द्वारा बताए जाने (सितम्बर 2011) के बाद नि.प्रा. ने कहा कि (सितम्बर 2011) मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर, उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

2.11.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत सकल आवर्त का गलत निर्धारण

झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत, सकल आवर्त (स.आ.) किसी दी गयी अवधि के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त या प्राप्य कुल राशि सहित व्यवसायी द्वारा प्राप्त और प्राप्य कुल राशियों का योग है।

एक कार्य संवेदक के मामले में वाणिज्य कर अंचल देवघर में अभिलेखों की हमारी संवीक्षा (जनवरी 2012) से उद्घटित हुआ कि नि.प्रा. जनवरी 2010 में वर्ष 2007-08 के लिए एकपक्षीय

कर निर्धारण संपन्न करते समय स्रोत एवं ऐसे निर्धारण के आधार को उल्लेखित किये बिना सकल आवर्त ₹ 1.93 करोड़ निर्धारित कर तदनुसार करारोपण किया। यद्यपि, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरणी के आधार पर हमने देखा कि वास्तविक सकल आवर्त ₹ 3.46 करोड़ था। कर निर्धारण संपन्न करते समय नि.प्रा. का विवरणियों की संवीक्षा में असफल होने के फलस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ कर देय आवर्त का कम निर्धारण हुआ तदन्तर ₹ 19.20 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा जनवरी 2012 में मामला उठाये जाने के बाद, नि.प्रा. ने (सितम्बर 2012) अर्थदण्ड ₹ 39,526.00 सहित ₹ 19.59 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। वसूली का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2013)।

2.12 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और अनुसूची के अनुसार मोटर वाहन के संघटकों एवं पार्टस, चमड़े के उत्पाद, सीमेंट, रिट्रेडेड टायर एवं विस्फोटक/मैट्रिक्स इमल्सन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य है। मार्च 2007 में जारी अधिसूचना के द्वारा 6 मार्च 2007 के प्रभाव से हेवी अर्थ भूविंग मशीन (एच.ई.एम.एम.) पार्टस और हाई डेन्सिटी पॉली ईथीलिन/पॉली प्लास्टिक (एच.डी.पी.ई./पी.पी.), वुभेन फेब्रिक्स की बिक्री पर कर की दर पूर्वपति 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी थी। अधिनियम में तदन्तर पर्याप्त कारण के बिना विवरणी के अनुसार कर एवं ब्याज भुगतान नहीं करने पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज और दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान है।

चार वाणिज्यकर अंचलों¹¹ में सितम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य कर निर्धारण अभिलेखों से हमें पता चला कि मोटर वाहन के संघटकों एवं पार्टस, विस्फोटक/मैट्रिक्स इमल्सन, भारी वाहनों के रिट्रेडेड टायर, सिमेंट, एच.ई.एम.एम. पार्टस, एच.डी.पी.ई. /पी.पी. वुभेन फेब्रिक्स तथा चमड़े के उत्पाद का व्यवसाय करने वाले 19 व्यवसायियों ने 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए कर के चार

प्रतिशत की दर पर विवरणियों को दाखिल किया था यद्यपि, उपरोक्त वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य के योग्य था। नि.प्रा. ने जनवरी 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करते समय विवरणियों के साथ-साथ अधिनियम के अनुसूची की संवीक्षा नहीं की और गलत दर पर ही करारोपण किया। नि.प्रा. द्वारा अधिसूचनाओं एवं अधिनियम के प्रावधानों का गलत अनुप्रयोग किये जाने के फलस्वरूप ₹ 10.00 करोड़ के ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 24.17 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे तालिका में उल्लेखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित कर का कम आरोपण
1.	सोलह आदित्यपुर	2006-07 से 2008-09 जनवरी 2009 एवं मार्च 2011	2006-09 की अवधि के दौरान ₹ 163.78 करोड़ की ऑटो पार्टस, एच.ई.एम.एम. पार्टस, एच.डी.पी.ई. वुभेन फेब्रिक्स आदि की बिक्री पर सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत की गलत दर पर कर आरोपित किया गया था।	23.82
2.	एक धनबाद	2007-08 फरवरी 2010	सिमेंट की बिक्री पर सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत की गलत दर पर कर आरोपित किया गया था।	0.17

¹¹ आदित्यपुर, धनबाद, धनबाद नगरीय एवं झरिया।

(₹ करोड़ में)				
क्र.सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित कर का कम आरोपण
3.	एक धनबाद नगरीय	2008-09 अप्रैल 2010	₹ 1.06 करोड़ की विस्फोटक की बिक्रय आवर्त पर सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत की गलत दर पर कर आरोपित किया गया था।	0.12
4.	एक झरिया	2007-08 मार्च 2010	₹ 63.87 लाख के रिट्रेडेड टायर की बिक्री पर सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत की गलत दर पर कर आरोपित किया गया था।	0.06
कुल				24.17

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद, तीन नि.प्रा. ने 16 मामलों¹² में ₹ 9.50 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया (फरवरी और अक्टूबर 2012 के मध्य) जिसमें से ₹ 44.19 लाख का तीन मामलों में वसूली की गई थी (सितम्बर 2012)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2013)।

¹² आदित्यपुर, धनबाद एवं धनबाद नगरीय।

2.13 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमितताएँ

झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत, एक निबंधित व्यवसायी कर अवधि के दौरान दूसरे निबंधित व्यवसायी से खरीद गये आवर्त पर अदा किये गये कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का हकदार है। पुनः, निबंधित व्यवसायी को ऐसे मालों के संबंध में जिनका उपयोग वैसे वस्तुओं के विनिर्माण में जो भंडार के स्थानान्तरण या अन्य प्रकार से या राज्य के बाहर विक्रय के लिए किया जाए, आई.टी.सी. स्वीकृत नहीं की जायेगी; जबकि आई.टी.सी., निर्मित वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं पर चार प्रतिशत से अधिक अदा किये गये कर को अनुमत किया जा सकता है। तदन्तर, जहाँ निबंधित व्यवसायी द्वारा क्रय की गयी वस्तु की वापसी की जाती है या ऐसे क्रय पर बिक्रेता व्यवसायी द्वारा प्रोत्साहन अनुमत किया जाता है, और संबंधित खाते में आवश्यक समायोजन किया जाता है तो क्रेता व्यवसायी उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये आई.टी.सी. को प्रतिवर्तित करेगा। अधिनियम गलत आई.टी.सी. के उपभोग के लिए दो गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपण का भी प्रावधान करता है।

हमने पाँच वाणिज्यकर अंचलों¹³ में छः व्यवसायियों के 2006-07 से 2008-09 की अवधि के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2009 एवं फरवरी 2012 के मध्य) और पाया कि निर्मित वस्तुओं के भंडार अन्तरण, वस्तुओं के क्रय पर प्रोत्साहन, क्रय के समय इनपुट कर का कम भुगतान आदि पर व्यवसायी द्वारा ₹ 1.04 करोड़ अधिक आई.टी.सी. का दावा किया गया। तथापि हमने देखा कि जून 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करने के दौरान नि.प्रा. ने इसकी अनुमति दी जो अधिनियम

के प्रावधानों से विचलन था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. की अनुमति दी गई इसके अतिरिक्त ₹ 1.80 करोड़ अर्थदण्ड भी आरोप्य था। तीन व्यवसायियों से संबंधित विशिष्ट मामले को हम नीचे तालिका में उल्लेख करते हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	अमान्य आई.टी.सी. आरोप्य अर्थदण्ड
1	एक गिरिडीह	2007-08 जुलाई 2009	व्यवसायी ने ₹ 48.76 करोड़ के कच्चे माल का खरीद दिखाया एवं ₹ 1.95 करोड़ आई.टी.सी. का दावा किया (विनिर्माण कार्य में संलिप्त) जिसे नि.प्रा. ने झा.मू.व.क.नियमावली के नियम 26 के अन्तर्गत ₹ 1.93 करोड़ की अनुमति दी जैसा कि व्यवसायी ने ₹ 19.33 करोड़ के निर्मित वस्तु का भंडार अंतरण किया था। तथापि हमने अधिनियम/नियम के अन्तर्गत विहित सुत्र के आधार पर वास्तविक अनुमत आई.टी.सी.	31.88 63.76

¹³ चिरकुण्डा, धनबाद नगरीय, गिरिडीह, राँची पश्चिमी एवं तेनुघाट।

(₹ लाख में)				
क्र. सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	अमान्य आई.टी.सी. आरोप्य अर्थदण्ड
			₹ 1.61 करोड़ की गणना किया। इस प्रकार से व्यवसायी को ₹ 31.88 लाख ¹⁴ अधिक आई.टी.सी. की अनुमति दी गई थी।	
2	एक चिरकुण्डा	2007-08 एवं 2008-09 मार्च और दिसम्बर 2010 के मध्य	व्यवसायी को राज्यान्तर्गत वस्तुओं के खरीद ₹ 28.57 करोड़ पर ₹ 1.14 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति दी गई थी, यद्यपि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की अवधि में वास्तविक खरीद ₹ 21.59 करोड़ थी जिस पर व्यवसायी द्वारा ₹ 86.36 लाख मू.व.क. का भुगतान किया गया था।	27.87 55.74
3	एक तेनुघाट	2007-08 मार्च 2010	व्यवसायी ने ₹ 96.79 लाख आई.टी.सी. का दावा किया जिसे नि.प्रा. द्वारा झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 26 के अन्तर्गत ₹ 96.72 लाख तक सीमित किया गया, जैसाकि व्यवसायी ने राज्य के बाहर ₹ 93.48 करोड़ के वस्तु का भंडार अंतरण किया था। तथापि हमने अधिनियम/नियम के अंतर्गत विहित सूत्र के आधार पर अनुमत आई.टी.सी. ₹ 73.73 लाख का गणना किया। इस प्रकार से व्यवसायी को ₹ 22.99 लाख अधिक आई.टी.सी. की अनुमति दी गई थी।	22.99 45.98

हमारे द्वारा मामले को जुलाई 2009 और फरवरी 2012 के मध्य बताये जाने पर नि.प्रा. चिरकुण्डा वाणिज्य कर अंचल ने अगस्त 2012 में एक मामले में ₹ 84.08 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। अन्य सभी मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (अगस्त 2009 और सितम्बर 2011 के मध्य) कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

¹⁴ अनुमत = आई.टी.सी. (भुगतान किया गया इनपुट कर x कर देय आवर्त) / सकल आवर्त
अर्थात् (₹ 1,95,04,555.36x92,08,56,203.00) ÷ 1,11,23,17,003.00 = 1,61,47,277.03
स्वीकृत आई.टी.सी.= ₹ 1,93,35,569.19
अधिक आई.टी.सी.= ₹ 31,88,292.16 (₹ 1,93,35,569.19 - ₹ 1,61,47,277.03)

2.14 छूट की स्वीकृति में अनियमितताएँ

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 9 (3) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत, अनुसूची-II के भाग ई में निर्दिष्ट वस्तुओं की राज्य में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर यदि कर आरोपण किया गया है तो उसी वस्तु का राज्यान्तर्गत परावर्ती बिक्री करने पर करारोपण नहीं होगा, यदि परावर्ती बिक्री करने वाला व्यवसायी ऐसी वस्तु पर राज्यान्तर्गत बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर के भुगतान का साक्ष्य बिक्रेता व्यवसायी द्वारा निर्गत घोषणा प्रपत्र जेभैट-403 में प्रस्तुत करता है।

हमने राँची पश्चिमी वाणिज्यकर अंचल में देखा (जुलाई 2011) कि एक व्यवसायी ने 2008-09 की अवधि में ₹ 16.25 लाख मूल्य का शराब (आई.एम.एफ.एल.) खरीदा और खरीद पर कर भुगतान के समर्थन में जेभैट - 403 में दो नग घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किया था। नि.प्रा अक्टूबर 2010 में कर निर्धारण सम्पन्न करते समय प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र के आधार पर ₹ 68.21 लाख मूल्य के शराब के विक्रय आवर्त पर करारोपण से छूट

की अनुमति दी। घोषणा प्रपत्रों की हमारी संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि ये प्रपत्रें दूसरे व्यवसायी के नाम पर निर्गत की गयी थी और रद्द करने के योग्य थे। इसके फलस्वरूप गलत छूट की अनुमति दी गई और तदनुसार ₹ 5.69 लाख¹⁵ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को जुलाई 2011 में बताये जाने पर नि.प्रा. ने कर निर्धारण संशोधित किया (जनवरी 2012) और ₹ 5.69 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। वसूली का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

हमने मामले को सरकार को जून 2012 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

2.15 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत निर्गत नियमों/अधिसूचनाओं के तहत कर आरोपण से छूट/रियायतों के दावे हेतु, विभिन्न घोषणा प्रपत्रें विहित की गयी हैं। तदन्तर, अधिनियम घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग के लिये अर्थदण्ड अधिरोपण का प्रावधान करता है।

हमने देखा कि नि.प्रा. ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पालन नहीं किया, फलस्वरूप ₹ 46.70 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ। ये मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

¹⁵ ₹ 16,25,175.00 पर 35 प्रतिशत की दर से कर = ₹ 5,68,811.25

घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी राज्य के बाहर से विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर, कर के रियायती दर पर पुर्नबिक्री के लिए या वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण कर बिक्री के लिए या खनन में या विद्युत के वितरण या उत्पादन या विद्युत के अन्य कोई रूप या दूरसंचार नेटवर्क के लिए वस्तुओं की खरीद कर सकता है वशर्ते कि उक्त वस्तुएँ उसके निबंधन प्रमाण पत्र (नि.प्रा.) द्वारा अच्छादित हो। ऐसा करने में विफल रहने पर व्यवसायी अभियोजन के लिए उत्तरदायी है या अभियोजन के बदले कर निर्धारण प्राधिकारी आरोप्य कर के एक और आधा प्रतिशत तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है, मानो क्रय विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित नहीं है। एक संवेदक भी एक व्यवसायी के हैसियत से रियायती दर की सुविधा का उपयोग कर सकता है।

2.15.1 हमने धनबाद वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जनवरी 2012), जिससे पता चला कि एक संवेदक ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान घोषणा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर क्रमशः ₹ 35.96 करोड़ एवं ₹ 49.51 करोड़ के कल पूर्जे, स्नेहक, टायर, हाई स्पीड डीजल एवं मशीनरी समान की खरीद कर के रियायती दर पर किया एवं पुर्नबिक्री के बदले संविदा कार्य में उपयोग किया जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार

अमान्य था। नि.प्रा. मार्च और नवम्बर 2009 में कर निर्धारण सम्पन्न करते समय प्रपत्र 'सी' के दुरुपयोग पर कर एवं अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'सी' का अनधिकृत उपयोग हुआ और तदन्तर ₹ 18.79 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 31.31 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को जनवरी 2012 में बताये जाने पर नि.प्रा. (अगस्त 2012) ने, जैसा कि लेखापरीक्षा ने बताया ₹ 31.31 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। तथापि, वसूली का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

मार्गस्थ बिक्री की गलत अनुमति

के.वि.क. अधिनियम के अन्तर्गत मार्गस्थ बिक्री के दावे पर करारोपण से छूट दी जाती है, जबकि बिक्री, वस्तु के परिवहन के दौरान स्वामित्व प्रलेख हस्तांतरण के द्वारा हो और ऐसे परवर्ती बिक्री भी परिवहन के उसी क्रम में होनी चाहिए जिसमें पूर्ववर्ती बिक्री हुई हो, बशर्ते कि घोषणा, प्रपत्र 'सी'* एवं प्रपत्र 'ई I'† में प्रस्तुत हो।

* 'सी' केन्द्रीय घोषणा प्रपत्र है जो क्रेता व्यवसायी द्वारा कर की रियायती दर का उपयोग के लिए निर्गत किया जाता है।

† परिवहन के क्रम में परवर्ती बिक्री को साबित करने के लिए बिक्रेता व्यवसायी द्वारा प्रपत्र 'ई I' में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

2.15.2 हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों¹⁶ में सितम्बर और दिसम्बर 2011 के मध्य कर निर्धारण अभिलेखों से देखा कि तीन व्यवसायियों के मामले में नि.प्रा. मार्च 2009 और मार्च 2011 के मध्य 2006-07 से 2008-09 अवधि का कर निर्धारण सम्पन्न करते समय ₹ 115.78 करोड़ के मार्गस्थ बिक्री पर कर से छूट की अनुमति दी, यद्यपि ऐसी बिक्री या तो प्रपत्र 'सी' से समर्थित नहीं थी या वांछित आवर्त से अधिक पर छूट की

अनुमति दी गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 14.32 करोड़ का कर से गलत छूट की अनुमति दी गई।

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2011 और दिसम्बर 2011 के मध्य बताये जाने पर नि.प्रा. ने सितम्बर 2011 और दिसम्बर 2011 के मध्य कहा कि मामले की जाँच/संवीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

के.वि.क. के अन्तर्गत गलत रियायती दर की अनुमति

के.वि.क. अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक निबंधित व्यवसायी, अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के क्रम में दूसरे व्यवसायी को बिक्री करता है जो क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों की वस्तुएँ हो तो ऐसे आवर्त पर मार्च 2007 तक चार प्रतिशत, अप्रैल 2007 से मई 2008 तक तीन प्रतिशत और जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर देय होगा, यदि ऐसी बिक्री, क्रेता व्यवसायी द्वारा निर्गत प्रपत्र 'सी' से समर्थित हो।

2.15.3 हमारी चिरकुंडा और कतरास वाणिज्यकर अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों की फरवरी एवं मार्च 2012 के मध्य नमूना जाँच में उद्घटित हुआ कि दो व्यवसायियों वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री क्रमशः ₹ 22.75 करोड़ और ₹ 166.41 करोड़ पर कर की रियायती दर का दावा किया। नि.प्रा. मार्च 2010 और फरवरी 2011 में कर

निर्धारण सम्पन्न करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र 'सी' के आधार पर सम्पूर्ण दावे की अनुमति दी। तथापि, घोषणा प्रपत्रों की हमारी संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि

¹⁶ जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय एवं झरिया।

एक मामले में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत 18 नग प्रपत्र 'सी' ₹ 16.17 करोड़ के विरुद्ध कर के रियायती दर पर ₹ 22.75 करोड़ आवर्त की अनुमति दी गई। अन्य मामला में, वर्ष 2008-09 के लिए कर के रियायती दर की अनुमति के लिए ₹ 166.41 करोड़ का 34 घोषणा प्रपत्र व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 16.22 करोड़ का तीन घोषणा प्रपत्र 'सी' वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित था। इसके फलस्वरूप कर के रियायती दर की गलत अनुमति दी गई एवं परिणामी ₹ 39.02 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को फरवरी 2012 और मार्च 2012 में बताये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी मामले की जाँच/संवीक्षा करने को सहमत हुए। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

2.15.4 हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों¹⁷ में तीन व्यवसायियों के (सितम्बर 2011 से फरवरी 2012 के मध्य) कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया जिससे उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वर्ष 2008-09 के दौरान कर के रियायती दर पर क्रमशः ₹ 94.01 करोड़, ₹ 144.09 करोड़ और ₹ 84.23 करोड़ के मूल्य के वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय बिक्री का दावा किया। धनबाद अंचल के एक व्यवसायी के मामले में नि.प्रा. मार्च 2011 में कर निर्धारण सम्पन्न करते समय घोषणा प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुतीकरण पर ₹ 73.84 करोड़ के दावा की अनुमति दी और ₹ 65.56 करोड़ पर दो प्रतिशत और ₹ 8.28 करोड़ पर तीन प्रतिशत की दर से करारोपण किया। हमारी संवीक्षा से, तथापि उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने अप्रैल से मई 2008 तक ₹ 23.64 करोड़ का अन्तर्राज्यीय बिक्री किया था। इस प्रकार से ₹ 15.36 करोड़ पर नि.प्रा. द्वारा आरोपित दो प्रतिशत के बदले तीन प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था। शेष मामले में नि.प्रा. फरवरी और मार्च 2011 में कर निर्धारण सम्पन्न करते समय अप्रैल से मई 2008 तक के समूचे लेन-देन क्रमशः ₹ 33.31 करोड़ और ₹ 19.32 करोड़ पर कर के सही दर तीन प्रतिशत के बदले दो प्रतिशत की दर से करारोपण किया। इस भूल के फलस्वरूप ₹ 68 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2011 और फरवरी 2012 के मध्य बताये जाने पर नि.प्रा. ने बताया कि मामले की संवीक्षा की जायेगी। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

¹⁷ धनबाद, झरिया और कतरास।

2.16 अधिक कर संग्रहण के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति निबंधित व्यवसायी होते हुए, देय कर से अधिक कर के रूप में राशि वसूल करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त, कर के रूप में वसूल की गई अधिकाई राशि के दुगुनी राशि, अर्थदण्ड के रूप में देने के लिए जिम्मेदार होगा। अधिनियम तदन्तर कर के ऐसे अधिकाई वसूली को राज्य सरकार से जब्ती का प्रावधान करता है।

कतरास वाणिज्यकर अंचल में कर निर्धारण अभिलेखों से हमने देखा (जनवरी एवं फरवरी 2012) कि दो व्यवसायियों ने कोयले का उत्खनन कर बिक्री से वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 15.86 करोड़ कर के विरुद्ध क्रेता व्यवसायी से ₹ 24.16 करोड़ कर की वसूली किया था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने उनके द्वारा

देय कर से अधिक ₹ 8.30 करोड़ की वसूली कर रख लिया। नि.प्रा. फरवरी 2011 में कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायी द्वारा किये गये अधिक कर की वसूली का पता नहीं लगा पाया। इस प्रकार व्यवसायी अधिकाई कर वसूली ₹ 8.30 करोड़ के अतिरिक्त अर्थदण्ड ₹ 16.60 करोड़¹⁸ के भुगतान का दायी था।

हमारे द्वारा मामले को जनवरी और फरवरी 2012 में बताये जाने पर एक मामला में नि.प्रा. ने (अगस्त 2012) ₹ 6.06 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया जबकि अन्य मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी ने फरवरी 2012 में कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

18

अंचल टीन	अवधि कर निर्धारण का माह	स्वीकृत कर की वसूली	कर की वसूली	अधिक कर की वसूली	अधिक कर वसूली के दुगुना के समतुल्य अर्थदण्ड
1	2	3	4	5	6
कतरास/ 20851505091	2008-09 फरवरी 2011	7.40	7.43	0.03	0.06
कतरास/ के.टी.82(सी)	2008-09 फरवरी 2011	8.46	16.73	8.27	16.54
कुल		15.86	24.16	8.30	16.60

2.17 कर निर्धारण का कालबाधित होना

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 35(6) के साथ पठित धारा 35(8) के प्रावधान के अन्तर्गत, जिसके संदर्भ में कर निर्धारण के योग्य है, कर अवधि के समाप्ति के तीन वर्षों के पश्चात् कर एवं अर्थदण्ड आरोपण के लिए कोई कर निर्धारण नहीं होगा। तदन्तर धारा 40(1) के साथ पठित 37 (6) के अन्तर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुनी राशि के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचल में कर निर्धारण अभिलेखों से एक व्यवसायी के मामले में देखा (अगस्त 2011) कि यद्यपि कर निर्धारण के लिए (अक्टूबर 2009) सूचना निर्गत थी फिर भी वर्ष 2007-08 का कर निर्धारण, निर्धारित अवधि मार्च 2011 तक सम्पन्न नहीं किया गया था। फलस्वरूप कर निर्धारण कालबाधित हो गया। पुनः हमने देखा कि विभाग के जाँच दल द्वारा व्यवसायी के व्यावसायिक परिसर में फरवरी 2008 में किये गये जाँच के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2007-08 के प्रथम तीन, तिमाही में विक्रय

आवर्त ₹ 134.50 करोड़ था। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार चौथे तिमाही का विक्रय आवर्त ₹ 41.41 लाख था। इस प्रकार से व्यवसायी ने वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तव में ₹ 134.91 करोड़ की सामग्री की बिक्री की थी लेकिन ₹ 1.61 करोड़ मात्र लेखापित किया गया था। फलस्वरूप ₹ 133.30 करोड़ का विक्रय आवर्त छिपाया गया। निर्धारित अवधि में नि.प्रा. के स्तर पर कर निर्धारण सम्पन्न करने में असफल रहने के फलस्वरूप ₹ 33.33 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 49.99 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर, नि.प्रा. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (मार्च 2012) एवं ₹ 16.66 करोड़ के कर और ₹ 3.53 करोड़ के ब्याज का आरोपण करके ₹ 20.19 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। तथापि, नि.प्रा. का उत्तर अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत नहीं है, क्योंकि कि निर्धारण पूर्व में ही कालबाधित हो गया था। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

2.18 कर की संगणना में भूल

के.वि.क./झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नि.प्रा. को कर निर्धारण अत्यधिक सावधानी एवं दक्षता के साथ संपन्न करना है। उसे देखना चाहिए कि कर की संगणना सही रूप से उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के साथ किया गया है।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों¹⁹ में तीन व्यवसायियों के मामले में कर निर्धारण अभिलेखों से देखा (सितम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य) कि नि.प्रा. वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (फरवरी 2011 और मार्च 2011 के मध्य) संगणना

में भूल के कारण सही रकम ₹ 11.28 करोड़ के बदले ₹ 8.57 करोड़ का गलत कर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2011 और जनवरी 2012 के मध्य बताये जाने पर, धनबाद एवं रामगढ़ अंचलों के नि.प्रा. ने दो मामलों में ₹ 2.58 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया (मार्च एवं अगस्त 2012)। जमशेदपुर अंचल के नि.प्रा. ने कहा (दिसम्बर 2011) कि मामले की संवीक्षा की जायेगी। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

¹⁹ धनबाद, जमशेदपुर और रामगढ़।